

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मधु झा, म.प्र. लोक सेवा आयोग वर्तमान शीर्षक इन्वॉइ पद अनुभाग अध्यक्षी

3. वर्तमान वेतन ₹4100 + 2405 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2018

उस जिले, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा प्रकार		वर्तमान मूल्य	वादी स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस जिले प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, संबंध, निशस्त, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्रकार	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भोग्या, तह. साँवर, जिला इन्दौर	गृह	—	₹8,91,000/- पुलाई, 16	स्वयं के नाम पर	श्री मो. एफ. से एवं एच. डी. एफ. ली बॉम्ब से लोन लेके श्रीमती नेहा राजपूत एवं श्री प्रखंड सिंह राजपूत से प्लॉट प्रयत्न निर्माणा। पी.ओ.डी. से पट्टा एवं एच.डी.आई. से पट्टा एवं लोन लेके श्री. एम.एन. लोन लेके जाने से भूमि इय डी।	—	—
पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत परवारी हल्डी न. 18 स्थित ग्राम खतो तह. हाताद जिला इन्दौर	—	हल्डी भूमि	₹65,000/- अप्रैल 2017	स्वयं के नाम पर	—	—	—

- \* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।
- \*\*\* इसमें अस्थकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) विभाग, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने नाम पर पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की पंक्ति के परभाव गैर धारणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके सम्पत्ति की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा धरते निशस्त में मिली या कराके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या कंसेल पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर [Signature]  
नाम: मधु झा  
पद: अनुभाग अध्यक्षी